क़ुरबानी

का बयान बहारे शरीअ़त से

मुसन्निफ़:

हज़रत अल्लामा मुफ़्ती अमजद अली आज़मी

रहीमहुल्लाहु त'आला



हिंदी :

टीम इल्म की रौशनी

SABIYA
VIRTUAL PUBLICATION

क़ुरबानी

का बयान बहारे शरीअ़त से

मुसन्निफ़:

हज़रत अल्लामा मुफ़्ती अमजद अली आज़मी
रहीमहुल्लाहु त'आला

हिंदी :

टीम इल्म की रौशनी

SABIYA
VIRTUAL PUBLICATION

Contents

मख़सूस जानवर को मख़सूस दिन में बा नियते तक़्क़रुब ज़बह करना क़ुर्बानी है और कभी उस जानवर को भी उज़हिया और क़ुर्बानी कहते हैं जो ज़बह किया जाता है। क़ुर्बानी हज़रत ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जो इस उम्मत के लिए बाक़ी रखी गई और नबी ए करीम सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम को क़ुर्बानी करने का हुक्म दिया गया,

इरशाद फ़रमाया :-

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

तर्जमा कन्ज़ुल ईमान :- तुम अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ो और क़ुर्बानी करो।

इस के मुतल्लिक़ पहले चन्द अहादीस ज़िक्र की जाती हैं फ़िर फ़िक़ही मसाइल बयान होंगे।

हदीस शरीफ़ :-

हदीस (1) : अबुदाउद, तिर्मीज़ी व इब्ने माजा उम्मुलमौमिनीन हज़रत ए आईशा सिद्दिक़ा रदीअल्लाहु त्आला अन्हा से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि :- यौमे नहर (दसवें ज़िलहिज्जा) में इब्ने आदम का कोई अमल ख़ुदा के

नज़दीक ख़ून बहाने (क़ुरबानी करने) से ज़्यादा प्यारा नहीं और वो जानवर क़यामत के दिन अपने सिंघ और बाल और खुरों के साथ आएगा और क़ुर्बानी का ख़ून ज़मीन पर गिरने से क़ब्ल (पहले) ख़ुदा के नज़दीक मक़ामे क़बूल में पहुंच जाता है लिहाज़ा इस को ख़ुश दिली से करो।

हदीस (2) : तबरानी हज़रत ए इमाम ए हुसैन बिन अली रदीअल्लाहु त्आला अन्हुमा से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :- जिस ने ख़ुशी दिल से तालीबे सवाब हो कर क़ुर्बानी की वो आतिश ए जहन्नम से हिजाब (रोक) हो जाएगी।

हदीस (3) : तबरानी इब्ने अब्बास रदीअल्लाहु त्आला अन्हुमा से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया :- जो रुपया ईद के दिन क़ुर्बानी में ख़र्च किया गया उस से ज़्यादा कोई रुपया प्यारा नहीं।

हदीस (4) : इब्ने माजा अबु हुरैरा **रदीअल्लाहु त्आला अन्हो** से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम ने

फ़रमाया :- जिस में उसअ़त (हैसियत) हो और क़ुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह के क़रीब ना आए।

हदीस (5) : इब्ने माजा ने ज़ेद बिन अरक़म **रदीअल्लाहु त्आला अन्हो** से रिवायत कि सहाबा **रदीअल्लाहु त्आला अन्होम** ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम ये क़ुर्बानीयां क्या हैं फ़रमाया कि :- तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है ।लोगों ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम हमारे लिए इस में क्या सवाब है फ़रमाया :- हर बाल के मुक़ाबिल नेकी है अर्ज़ की उन का क्या हुक्म है फ़रमाया :- उन के हर बाल के बदले में नेकी है।

हदीस (6) : सहीह बुख़ारी में बराअ रदीअल्लाहु त्आला अन्हो से मरवी नबी ए करीम सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :- सब से पहले जो काम आज हम करेंगे वो ये है कि नमाज़ पढ़ें फिर उस के बाद क़ुर्बानी करेंगे जिस ने ऐसा किया उस ने हमारी सुन्नत (तरीक़ा) को पा लिया और जिस ने पहले ज़बह कर लिया वो गोश्त है जो उस ने पहले से अपने घर वालों के लिए तैयार कर लिया क़ुर्बानी से उसे कुछ ताअ़लुक़ नहीं। अबुबरदह रदीअल्लाहु त्आला अन्हो खड़े हुए और ये पहले ही ज़बह कर चुके

थे (इस ख़्याल से कि पड़ोस के लोग ग़रीब थे उन्होंने चाहा कि उन को गोश्त मिल जाए) और अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम मेरे पास बकरी का छः (6) माहा एक बच्चा है फ़रमाया :- तुम उसे ज़बह कर लो और तुम्हारे सिवा किसी के लिए छः (6) माहा बच्चा किफ़ायत नहीं करेगा।

हदीस (7) : इमाम अहमद वग़ैरह बराअ रदीअल्लाहु त्आला अन्हो से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि :- आज के दिन जो काम हम को पहले करना है वो नमाज़ है उस के बाद क़ुर्बानी करना है जिस ने ऐसा किया वो हमारी सुन्नत को पहुंचा और जिस ने पहले ज़बह कर डाला वो गोश्त है जो उस ने अपने घर वालों के लिए पहले ही से कर लिया। क़ुर्बानी से उस का कुछ ताअ़लुक़ नहीं।

हदीस (8) : इमाम मुस्लिम हज़रत ए आईशा रदीअल्लाहु त्आला अन्हा से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम ने हुक्म फ़रमाया कि :- सिंघ वाला मेन्ढ़ा लाया जाए जो स्याही में चलता हो और स्याही में बैठता हो और स्याही में नज़र करता हो यानी उस के पांव स्याह हों और पेट स्याह हो और आंखें स्याह हों वो क़ुर्बानी के लिए हाज़िर किया गया हुज़ूर सल्लल्लाहु

त'आला अलैहि वसल्लम ने छुरी ली और मेन्ढ़े को लिटाया और उसे ज़बह किया फ़िर फ़रमाया :-

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُّحَمَّدٍ . وَاٰلِ مُّحَمَّدٍ . وَمِنْ اُمَّةِ مُّحَمَّدٍ

तर्जमा :- इलाही तू इस को मुहम्मद सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम की तरफ़ से और उन की आल और उम्मत की तरफ़ से क़बूल फ़रमा।

हदीस (9) : इमाम अहमद व अबूदाउद व इब्ने माजा व दारमी जाबीर रदीअल्लाहु त्आला अन्हो से रिवायत करते हैं कि नबी ए करीम सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम ने ज़िब्ह के दिन दो (2) मेंढें सींघ वाले चितकबरे खस्सी किए हुए ज़िब्ह किए जब उनका मुँह किब्ला को किया ये पढ़ा :-

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ عَلٰی مِلَّةِ

اِبْرَاهِیْمَ حَنِیْفًا وَّ مَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ۚ

اِنَّ صَلَاتِیْ وَ نُسُكِیْ وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۙ لَا

شَرِیْكَ لَهٗ ۚ وَ بِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا اَوَّلُ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ

وَلَكَ عَنْ مُّحَمَّدٍ وَّاُمَّتِه بِسْمِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ اَكْبَر

इसको पढ़ कर ज़िब्ह फ़रमाया, और एक रिवायत में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया कि इलाही ये मेरी तरफ़ से है और मेरी उम्मत में उस की तरफ़ से है जिसने क़ुर्बानी नहीं की।

हदीस (10) : इमाम बुख़ारी व मुस्लिम ने अनस रदीअल्लाहु त्आला अन्हो से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम ने दो (2) मेंढें चितकबरे सींघ वालों की क़ुर्बानी की उन्हें अपने दस्त (हांथ) मुबारक से ज़िब्ह किया और

بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَر

कहा, कहते हैं मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम को देखा कि अपना पाँव उनके पहलुओं पर रखा और

بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَر

कहा।

हदीस (11) : तिर्मीज़ी में हनश से मरवी वो कहते हैं मैंने हज़रत ए अली रदीअल्लाहु त्आला अन्हो को देखा कि दो (2) मेंढें की क़ुर्बानी करते हैं मैंने कहा ये क्या उन्होंने फ़रमाया कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम ने मुझे वसियत फ़रमाई कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम की तरफ़ से क़ुर्बानी

करुँ लिहाज़ा मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम की तरफ़ से क़ुर्बानी करता हुँ।

हदीस (12) : अबूदाउद व निसाइ अब्दुल्लाह बिन अमर रदीअल्लाहु त्आला अन्हा से रावी कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :- मुझे यौम ए अज़्हा का हुक्म दिया गया उस दिन को ख़ुदा ने इस उम्मत के लिए ईद बनाया एक शख़्स ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम ये बताइए अगर मेरे पास मनिहा (उस जानवर को कहते हैं जो दुसरे ने उसे इसलिए दीया है कि कुछ दिन उसके दूध वग़ैरह से फ़ायदा उठाए फिर मालिक को वापस कर दे) के सिवा कोई जानवर न हो तो क्या उसी की क़ुर्बानी करुँ फरमाया :- नहीं। हाँ तुम अपने बाल और नाख़ून तरशवाओ और मुंछें तरशवाओ और मुए ज़ेरे नाफ़ को मुड़ो उसी में तुम्हारी क़ुर्बानी ख़ुदा के नज़दीक पूरी हो जाएगी। यानि जिस को क़ुर्बानी की तोफ़िक़ न हुआ उसे उन चीजों के करने से क़ुर्बानी का सवाब हासिल हो जाएगा।

हदीस (13) : मुस्लिम व तिर्मीज़ी व निसाइ व इब्ने माजा उम्मुलमौमिनीन उम्मे सलमा रदीअल्लाहु त्आला अन्हा से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :- जिस ने ज़िलहिज्ज का चाँद देख लिया और उस का इरादा क़ुर्बानी करने

का है तो जब तक क़ुर्बानी ना कर ले बाल और नाख़ूनों से ना ले यानी ना तरशवाए।

हदीस (14) : तबरानी अब्दुल्लाह बिन मसउद रदीअल्लाहु त्आला अन्हो से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :- क़ुर्बानी में गाय सात (7) की तरफ़ से और ऊँट सात (7) की तरफ़ से है।

हदीस (15) : अबुदाऊद व निसाइ व इब्ने माजा मुजाशिअ़ बिन मसउद रदीअल्लाहु त्आला अन्हो से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :- भेड़ का जज़अ (छः "6" महीने का बच्चा) साल भर वाली बकरी के क़ायम मक़ाम है।

हदीस (16) : इमाम अहमद ने रिवायत की कि हुज़ूर ए अक़दस सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि :- अफ़ज़ल क़ुर्बानी वो है जो बा एतबार क़ीमत आला हो और ख़ूब फ़रबा हो।

हदीस (17) : तबरानी इब्ने अब्बास रदीअल्लाहु त्आला अन्हा से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम ने रात में क़ुर्बानी करने से मना फ़रमाया।

हदीस (18) : इमाम अहमद वग़ैरह हज़रत ए अली से रावी कि हुज़ूर ए अक़्दस सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया चार (4) क़िस्म के जानवर क़ुर्बानी के लिए दुरुस्त नहीं।

1. काना :- जिस का काना पन ज़ाहिर है, और

2. बीमार :- जिस की बीमारी ज़ाहिर हो, और

3. लंगड़ा :- जिस का लंग ज़ाहिर है, और

4. ऐसा लागर :- जिस की हड्डियों में मग़ज़ ना हो।

उसी की मिस्ल इमाम मालिक व अहमद व तिर्मीज़ी व अबुदाउद व निसाइ व इब्ने माजा व दारमी बराअ बिन आज़िब रदीअल्लाहु त्आला अन्हो से रावी ।

हदीस (19) : इमाम अहमद व इब्ने माजा हज़रत ए अली रदीअल्लाहु त्आला अन्हो से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम ने कान कटे हुए और सींघ टूटे हुए की क़ुर्बानी से मना फ़रमाया।

हदीस (20) : तिर्मीज़ी व अबुदाउद व निसाइ व दारमी हज़रत ए अली रदीअल्लाहु त्आला अन्हो रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि :- हम जानवरों के कान और आँखें ग़ौर से देख लें और उस की क़ुर्बानी ना करें जिस के कान का अगला हिस्सा कटा हो और ना उस की जिस के कान का

पिछला हिस्सा कटा हो ना उस की जिस का कान फटा हो या कान में सूराख़ हो।

हदीस (21) : इमाम बुख़ारी इब्ने उमर रदीअल्लाहु त्आला अन्हुमा से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम ईदगाह में नहर व ज़बह फ़रमाते थे।

मसाइल ए फ़िक़हिया

क़ुर्बानी कई क़िस्म की है।

1. ग़नी और फ़क़ीर दोनों पर वाजिब,
2. फ़क़ीर पर वाजिब हो ग़नी पर वाजिब ना हो,
3. ग़नी पर वाजिब हो फ़क़ीर पर वाजिब ना हो।

दोनों पर वाजिब हो उस की सूरत ये है कि क़ुर्बानी की मन्नत मानी ये कहा कि अल्लाह त्आला के लिए मुझ पर बकरी या गाय की क़ुर्बानी करना है या उस बकरी या उस गाय को क़ुर्बानी करना है। फ़क़ीर पर वाजिब हो ग़नी पर ना हो उस की सूरत ये है कि फ़क़ीर ने क़ुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदा उस पर उस जानवर की क़ुर्बानी वाजिब है और ग़नी अगर ख़रीदता तो उस ख़रीदने से

क़ुर्बानी उस पर वाजिब ना होती। ग़नी पर वाजिब हो फ़क़ीर पर वाजिब ना हो उस की सूरत ये है कि क़ुर्बानी का वजुब ना ख़रीदने से हो, ना मन्नत मानने से ब्लकि ख़ुदा ने जो उसे ज़िन्दा रखा है उस के शुक्रिया में और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के इहया (सुन्नत ए इब्राहीमी को क़ायम रखने के लिए) में जो क़ुर्बानी वाजिब है वो सिर्फ़ ग़नी पर है।

1- मुसाफ़िर पर क़ुर्बानी वाजिब नहीं अगर मुसाफ़िर ने क़ुर्बानी की ये नफ़्ल है और फ़क़ीर ने अगर ना मन्नत मानी हो ना क़ुर्बानी की नियत से जानवर ख़रीदा हो उस का क़ुर्बानी करना भी नफ़्ल है।

2- बकरी का मालिक था और उस की क़ुर्बानी की नियत कर ली या ख़रीदने के वक़्त क़ुर्बानी की नियत ना थी बाद में नियत कर ली तो इस नियत से क़ुर्बानी वाजिब नहीं होगी।

क़ुर्बानी वाजिब होने के शराइत ये हैं :-

1. इस्लाम :- यानी ग़ैर मुस्लिम पर क़ुर्बानी वाजिब नहीं।
2. इक़ामत :- यानी मुक़ीम होना, मुसाफ़िर पर वाजिब नहीं।

3. तवन्गरी :- यानी मालिक ए निसाब होना यहां मालदारी से मुराद वही है जिस से सदक़ा व फ़ित्र वाजिब होता है, वो मुराद नहीं जिस से ज़कात वाजिब होती है।

4. हुरियत :- यानी आज़ाद होना जो आज़ाद ना हो उस पर क़ुर्बानी वाजिब नहीं कि ग़ुलाम के पास माल ही नहीं लिहाज़ा इबादते मालिया उस पर वाजिब नहीं। मर्द होना इस के लिए शर्त नहीं। औरतों पर वाजिब होती है जिस तरह मर्दों पर वाजिब होती है, इस के लिए बुलूग़ (बालिग़ होना) शर्त है या नहीं इस में इख़्तिलाफ़ है और नाबालिग़ पर वाजिब है तो आया ख़ुद उस के माल से क़ुर्बानी की जाएगी या उस का बाप अपने माल से क़ुर्बानी करेगा।

ظاہرالروایۃ

ये है कि ना ख़ुद नाबालिग़ पर वाजिब है और ना उस की तरफ़ से उस के बाप पर वाजिब है और इसी पर फ़तवा है।

मुसाफ़िर पर अगरचे वाजिब नहीं मगर नफ़्ल के तौर पर करे तो कर सकता है सवाब पाएगा। हज करने वाले जो मुसाफ़िर हों उन पर क़ुर्बानी वाजिब नहीं और मुक़ीम हों तो वाजिब है जैसा कि मक्का के रहने वाले हज करें तो चूंकि ये मुसाफ़िर नहीं उन पर वाजिब होगी।

शराइत का पूरे वक़्त में पाया जाना ज़रूरी नहीं बल्कि क़ुर्बानी के लिए जो वक़्त मुक़र्रर है उस के किसी हिस्सा में शराइत का पाया जाना वजुब के लिए काफ़ी है मसलन एक शख़्स इब्तेदाए वक़्त क़ुर्बानी में काफ़िर था फिर मुसलमान हो गया और अभी क़ुर्बानी का वक़्त बाक़ी है उस पर क़ुर्बानी वाजिब है जबकि दुसरे शराइत भी पाए जाएं उसी तरह अगर ग़ुलाम था और आज़ाद हो गया उसके लिए भी यही हुक्म है। यूँही अव्वल वक़्त में मुसाफ़िर था और असनाए वक़्त में मुक़ीम हो गया उस पर भी क़ुर्बानी वाजिब हो गई या फ़क़ीर था और वक़्त के अन्दर मालदार हो गया उस पर भी क़ुर्बानी वाजिब है।

क़ुर्बानी वाजिब होने का सबब वक़्त है जब वो वक़्त आया और शराइते वजुब पाए गए क़ुर्बानी वाजिब हो गई और उसका रुक्न उन मख़सूस जानवरों में किसी को क़ुर्बानी की नियत से ज़बह करना है। क़ुर्बानी की नियत से दुसरे जानवर मसलन मुर्ग़ को ज़बह करना नाजायज़ है।

जो शख़्स दो सौ (200) दिरहम या बीस (20) दिनार का मालिक हो या हाजत के सिवा किसी ऐसी चीज़ का मालिक हो जिसकी क़ीमत दो सौ (200) दिरहम हो वो ग़नी है उस पर कुर्बानी वाजिब है। हाजत से मुराद रहने का मकान और ख़ानादारी के

सामान जिनकी हाजत हो और सवारी का जानवर और ख़ादिम और पहनने के कपड़े उनके सिवा जो चीज़ें हों वो हाजत से ज़ायद हैं।

उस शख़्स पर दीन है और उसके अमवाल से दीन की मिक़दार मुजरा (कटौती की जाए) की जाए तो निसाब नहीं बाक़ी रहती उस पर क़ुर्बानी वाजिब नहीं और अगर उसका माल यहाँ मौजूद नहीं है और अय्याम ए क़ुर्बानी (10,11,12 ज़िलहिज्ज) गुज़रने के बाद वो माल उसे वसूल होगा तो क़ुर्बानी वाजिब नहीं।

एक शख़्स के पास दो सौ (200) दिरहम थे साल पूरा हुआ और उनमें से पाँच (5) दिरहम ज़कात में दिए एक सौ पन्चानवे (195) बाक़ी रहे अब क़ुर्बानी का दिन आया तो क़ुर्बानी वाजिब है और अगर अपने ज़रूरियात में पाँच (5) दिरहम ख़र्च करता तो क़ुर्बानी वाजिब न होती।

मालिक ए निसाब ने क़ुर्बानी के लिए बकरी ख़रीदी थी वो गुम हो गई और उस शख़्स का माल निसाब से कम हो गया अब क़ुर्बानी का दिन आया तो उस पर ये ज़रूरी नहीं कि दुसरा जानवर ख़रीद कर क़ुर्बानी करे और अगर वो बकरी क़ुर्बानी ही के दिनों में मिल गई और ये शख़्स अब भी मालिक ए निसाब नहीं है तो उस पर उस बकरी की क़ुर्बानी वाजिब नहीं।

औरत का महर शौहर के ज़िम्मे बाक़ी है और शौहर मालदार है तो उस महर की वजह से औरत को मालिक निसाब नहीं माना जाएगा अगरचे महर ए मुअज्जल हो और अगर औरत के पास इसके सिवा बक़दरे निसाब माल नहीं है तो औरत पर क़ुर्बानी वाजिब नहीं होगी।

किसी के पास दो सौ (200) दिरहम की क़ीमत का मसहफ़ शरीफ़ (क़ुरआन मजीद) है अगर वह उसे देख कर अच्छी तरह तिलावत कर सकता है तो उस पर क़ुर्बानी वाजिब नहीं चाहे उसमें तिलावत करता हो या न करता हो और अगर अच्छी तरह उसे देख कर तिलावत न कर सकता हो तो वाजिब है। किताबों का भी यही हुक्म है कि उस के काम की हैं तो क़ुर्बानी वाजिब नहीं वरना है।

एक मकान जाड़े के लिए और एक गर्मी के लिए ये हाजत में दाखिल है उनके अलावा उसके पास तीसरा मकान हो जो हाजत से ज़ायद है अगर ये दो सौ (200) दिरहम का है तो क़ुर्बानी वाजिब है उसी तरह गर्मी जाड़े के बिछौने हाजत में दाखिल हैं और तीसरा बिछौना जो हाजत से ज़ायद है उसका ऐतबार होगा। ग़ाज़ी के लिए दो घोड़े हाजत में हैं तीसरा हाजत से ज़ायद है। असलहा ग़ाज़ी की हाजत में दाख़िल हैं हाँ अगर हर क़िस्म के दो (2) हथियार हों तो दुसरे को हाजत से ज़ायद क़रार दिया जाएगा। गाँव के ज़मीनदार

के पास एक घोड़ा हाजत में दाख़िल है और दो हों तो दुसरे को ज़ायद माना जाएगा। घर में पहनने के कपड़े और काम-काज के वक़्त पहनने के कपड़े और जुम्मा व ईद और दुसरे मौक़ों पर पहन कर जाने के कपड़े ये सब हाजत में दाख़िल हैं और उन तीन (3) के सिवा चौथा (4) जोड़ा अगर दो सौ (200) दिरहम का है तो क़ुर्बानी वाजिब है।

बालिग़ लड़कों या बीबी की तरफ़ से क़ुर्बानी करना चाहता है तो उनसे इजाज़त हासिल करे बग़ैर उनके कहे अगर कर दी तो उनकी तरफ़ से वाजिब अदा न हुआ और नाबालिग़ की तरफ़ से अगरचे वाजिब नहीं है मगर कर देना बेहतर है।

क़ुर्बानी का हुक़्म यह है कि उसके ज़िम्मा जो क़ुर्बानी वाजिब है कर लेने से बरीओ ज़िम्मा हो गया और अच्छी नियत से की है रिया वग़ैरह की मदाख़्लत नहीं तो अल्लाह के फज़्ल से उम्मीद है कि आख़िरत में इसका सवाब मिले।

यह ज़रूरी नहीं कि दसवीं (10) ही को क़ुर्बानी कर डाले इसके लिए गुंजाइश है कि पूरे वक़्त में जब चाहे करे लिहाज़ा अगर इब्तेदा ए वक़्त में उसका अहल न था वुजूब के शराइत नहीं पाए जाते थे और आख़िर वक़्त में अहल हो गया यानि वुजूब के शराइत पाए गए

तो उस पर वाजिब हो गई और अगर इब्तेदा ए वक़्त में वाजिब थी और अभी की नहीं और आख़िर वक़्इ में शराइत जाते रहे तो वाजिब न रही।

एक शख़्स फ़क़ीर था मगर उसने क़ुर्बानी कर डाली उसके बाद अभी वक़्त क़ुर्बानी का बाक़ी था कि ग़नी हो गया तो उसको फिर क़ुर्बानी करनी चाहिए कि पहले जो की थी वो वाजिब न थी और अब वाजिब है बाज़ औलमा ने फ़रमाया कि वो पहली क़ुर्बानी काफ़ी है और अगर बावजूद मालिक ए निसाब होने के उसने क़ुर्बानी न की और वक़्त ख़त्म होने के बाद फ़क़ीर हो गया तो उस पर बकरी की क़ीमत का सदक़ा करना वाजिब है यानी वक़्त गुज़रने के बाद क़ुर्बानी साक़ित नहीं होगी। और अगर मालिक ए निसाब बग़ैर क़ुर्बानी किए हुए उन्हीं दिनों में मर गया तो उसकी क़ुर्बानी साक़ित हो गई।

क़ुर्बानी के वक़्त में क़ुर्बानी करना ही लाज़िम है कोई दुसरी चीज़ उसके क़ायम मक़ाम नहीं हो सकती मसलन बजाए क़ुर्बानी उसने बकरी या उसकी क़ीमत सदक़ा कर दी ये ना काफ़ी है उसमें नियाबत हो सकती है यानी ख़ुद करना ज़रूरी नहीं बल्कि दुसरे को इजाज़त दे दी उसने कर दी ये हो सकता है।

जब क़ुर्बानी के शराइत मज़कुरह पाए जाएं तो बकरी का ज़बह करना या ऊँट या गाय का सातवाँ (7) हिस्सा वाजिब है। सातवें (7) हिस्सा से कम नहीं हो सकता बल्कि ऊँट या गाय के शुरका में अगर किसी शरीक का सातवें (7) हिस्सा से कम है तो किसी की क़ुर्बानी नहीं हुई यानी जिसका सातवाँ (7) हिस्सा या उससे ज़्यादा है उसकी भी क़ुर्बानी नहीं हुई। गाय या ऊँट में सातवें (7) हिस्सा से ज़्यादा की क़ुर्बानी हो सकती है। मसलन गाय को छः(6) या पाँच (5) या चार (4) शख़्सों की तरफ़ से क़ुर्बानी करें हो सकता है और ये ज़रूरी नहीं कि सब शुरका के हिस्से बराबर हों बल्कि कमो बेश भी हो सकते हैं हां ये ज़रूरी है कि जिसका हिस्सा कम है तो सातवीं हिस्सा से कम न हो।

सात (7) शख़्सों ने पाँच (5) गायों की क़ुर्बानी की ये जायज़ है कि हर गाय में हर शख़्स का सातवां (7) हिस्सा हुआ और आठ (8) शख़्सों ने पाँच (5) या छः(6) गायों में बहिस्सा मसावी शिरकत की ये नाजायज़ है कि हर गाय में हर एक का सातवें (7) हिस्सा से कम है। सात (7) बकरियों की सात (7) शख़्सों ने शरीक होकर क़ुर्बानी की यानी हर एक का हर बकरी में सातवां हिस्सा है इस्तेहसान्न क़ुर्बानी हो जाएगी यानी हर एक की एक-एक बकरी पूरी क़रार दी जाएगी। यूँही दो (2) शख़्सों ने दो (2) बकरियों में शिरकत करके क़ुर्बानी की तो बतौरे इस्तेहसान हर एक की क़ुर्बानी हो जाएगी।

शिरकत में गाय की क़ुर्बानी हुई तो ज़रूरी है कि गोश्त वज़न करके तक़सीम किया जाए अन्दाज़ा से तक़सीम न हो क्योंकि हो सकता है कि किसी को ज़ायदा या कम मिले और ये नाजायज़ है यहाँ ये ख़्याल न किया जाए कि कमो बेश होगा तो हर एक उसको दुसरे के लिए जायज़ कर देगा कह देगा कि अगर किसी को जाय़द पहुंच गया है तो माफ़ किया कि यहां अदमे जवाज़े हक़ शरअ़ है और उनको उसके माफ़ करने का हक़ नहीं।

क़ुर्बानी का वक़्त दसवीं (10) ज़िलहिज्ज के तुलूअ़ सुबहे सादिक़ से बारहवीं (12) के ग़ुरूबे आफ़ताब तक है यानी तीन (3) दिन, दो (2) रातें और उन दिनों को अय्यामें नहर कहते हैं और ग्यारह (11) से तेरह (13) तक तीन (3) दिनों को अय्यामें तशरीक़ कहते हैं लिहाज़ा बीच के दो (2) दिन अय्यामें नहर व अय्यामें तशरीक़ दोनों हैं और पहला दिन यानी दसवीं ज़िलहिज्ज सिर्फ़ यौमे नहर है और पिछला दिन यानी तेरहवीं ज़िलहिज्ज सिर्फ़ यौमे तशरीक़ है।

दसवीं (10) के बाद की दोनों रातें अय्यामें नहर में दाख़िल हैं उन में भी क़ुर्बानी हो सकती है मगर रात में ज़बह करना मकरुह है।

पहला (1) दिन यानी दसवीं तारीख़ सब में अफज़ल है फ़िर ग्यारहवीं (11) और पिछला दिन यानी बारहवीं (12) सब में कम दर्जा

है और अगर तारीख़ों में शक हो यानी तीस (30) का चाँद माना गया है और उनतीस (29) के होने का भी शुब्हा है मसलन गुमान था कि उनतीस (29) का चाँद होगा मगर अब्र (बादल) वग़ैरह की वजह से ना दिखा या शहादतें गुज़रें मगर किसी वजह से क़बुल ना हुए ऐसी हालत में दसवीं (10) के मुतल्लिक़ ये शुब्हा (शक) है कि शायद आज ग्यारहवीं (11) हो तो बेहतर ये है कि क़ुर्बानी को बारहवीं (12) तक मुअख़र ना करे यानी बारहवीं (12) से पहले कर डाले क्योंकि बारहवीं (12) के मुतल्लिक़ तेरहवीं (13) तारीख़ होने का शुब्हा होगा तो ये शुब्हा होगा कि वक़्त से बाद में हुई और इस सूरत में अगर बारहवीं (12) को क़ुर्बानी की जिस के मुतल्लिक़ तेरहवीं (13) होने का शुब्हा है तो बेहतर ये है कि सारा गोश्त सदक़ा कर डाले ब्लकि ज़बह की हुई बकरी और ज़िन्दा बकरी में क़ीमत का तफ़ाउत हो कि ज़िन्दा की क़ीमत कुछ ज़ायद हो तो उस ज़्यादती को भी सदक़ा कर दे।

अय्यामें नहर में क़ुर्बानी करना उतनी क़ीमत के सदक़ा करने से अफज़ल है क्योंकि क़ुर्बानी वाजिब है या सुन्नत और सदक़ा करना नफ़्ली इबादत है लिहाज़ा क़ुर्बानी अफज़ल हुई। और वजुब की सूरत में बग़ैर क़ुर्बानी किए वाजिब अदा नहीं हो सकता।

शहर में क़ुर्बानी की जाए तो शर्त ये है कि नमाज़ हो चुके लिहाज़ा नमाज़ से पहले शहर में क़ुर्बानी नहीं हो सकती और देहात में चूंकि नमाज़ ए ईद नहीं है यहां तुलूअ़ फ़ज्र के बाद से ही क़ुर्बानी हो सकती है और देहात में बेहतर ये है कि बाद तुलूअ़ ए आफ़ताब क़ुर्बानी की जाए और शहर में बेहतर ये है कि ईद का ख़ुतबा हो चुकने के बाद क़ुर्बानी की जाए। यानी नमाज़ हो चुकी है और अभी ख़ुतबा नहीं हुआ है उस सूरत में क़ुर्बानी हो जाएगी मगर ऐसा करना मकरुह है।

ये जो शहर व देहात का फ़र्क़ बताया गया ये मक़ामे क़ुर्बानी के लिहाज़ से है क़ुर्बानी करने वाले के एतबार से नहीं यानी देहात में क़ुर्बानी हो तो वो वक़्त है अगरचे क़ुर्बानी करने वाला शहर में हो तो नमाज़ के बाद हो अगरचे जिस की तरफ़ से क़ुर्बानी है वो देहात में हो लिहाज़ा शहरी आदमी अगर ये चाहता है कि सुबह ही नमाज़ से पहले क़ुर्बानी हो जाए तो जानवर देहात में भेज दे।

अगर शहर में मुतअ़दद जगह ईद की नमाज़ होती हो तो पहली जगह नमाज़ हो चुकने के बाद क़ुर्बानी जायज़ है यानी ये ज़रुरी नहीं कि ईदगाह में नमाज़ हो जाए जब ही क़ुर्बानी की जाए ब्लकि किसी मस्जिद में हो गई और ईदगाह में ना हुई जब भी हो सकती है।

दसवीं (10) को अगर ईद की नमाज़ नहीं हुई तो क़ुर्बानी के लिए ये ज़रूरी है कि वक़्ते नमाज़ जाता रहे यानी ज़व्वाल का वक़्त आ जाए अब क़ुर्बानी हो सकती है और दूसरे या तीसरे दिन नमाज़ ए ईद से क़बल हो सकती है।

मिना में चुंकि ईद की नमाज़ नहीं होती लिहाज़ा वहाँ जो क़ुर्बानी करना चाहे तुलूअ़ ए फ़ज्र के बाद से कर सकता है उस के लिए वही हुक्म है जो देहात का है किसी शहर में अगर फ़ितना की वजह से नमाज़ ए ईद ना हो तो वहाँ दसवीं (10) की तुलूअ़ फ़ज्र के बाद क़ुर्बानी हो सकती है।

इमाम अभी नमाज़ ही में है और किसी ने जानवर ज़बह कर लिया अगरचे इमाम क़अदह में हो और बक़दरे तशहुद बैठ चुका हो मगर अभी सलाम ना फैरा हो तो क़ुर्बानी नहीं हुई और अगर इमाम ने एक तरफ़ सलाम फैर लिया है दूसरी तरफ़ बाक़ी था कि उसने ज़बह कर दिया क़ुर्बानी हो गई और बेहतर ये है कि ख़ुतबा से जब इमाम फ़ारिग़ हो जाए उस वक़्त क़ुर्बानी की जाए।

इमाम ने नमाज़ पढ़ ली उसके बाद क़ुर्बानी हुई फिर मालूम हुआ कि इमाम ने बग़ैर वज़ू नमाज़ पढा़ दी तो नमाज़ का आइदह किया जाए क़ुर्बानी के आइदह की ज़रूरत नहीं।

ये गुमान था कि आज अरफ़ा (9 वीं ज़िलहिज्ज) का दिन है और किसी ने ज़व्वाले आफ़ताब के बाद क़ुर्बानी कर ली फिर मालूम हुआ कि अरफ़ा का दिन न था बल्कि दसवीं (10) तारीख़ थी तो क़ुर्बानी जायज़ हो गई। यूँही अगर दसवीं (10) को नमाज़ ए ईद से पहले क़ुर्बानी कर ली फिर मालूम हुआ कि वो दसवीं (10) न थी बल्कि ग्यारहवीं (11) थी तो उसकी भी क़ुर्बानी जायज़ हो गई ।

नौवीं (9) के मुतल्लिक़ कुछ लोगों ने गवाही दी कि दसवीं (10) है इस बिना पर उसी रोज़ नमाज़ पढ़ कर क़ुर्बानी की फिर मालूम हुआ कि गवाही ग़लत थी वो नौवीं (9) तारीख़ थी तो नमाज़ भी हो गई और क़ुर्बानी भी।

अय्यामें नहर गुज़र गए और जिस पर क़ुर्बानी वाजिब थी उसने नहीं की है तो क़ुर्बानी फ़ौत हो गई अब नहीं हो सकती फिर अगर उसने कुर्बानी का जानवर मुअ़य्यन कर रखा है मसलन मुअ़य्यन जानवर के क़ुर्बानी की मन्नत मान ली है वह शख़्स गनी हो या फ़क़ीर बहर सूरत उसी मुअ़य्यन जानवर को ज़िन्दा सदक़ा करे और अगर ज़बह कर डाला तो सारा गोश्त सदक़ा करे उसमें से कुछ न खाए और अगर कुछ खा लिया है तो जितना खाया है उसकी क़ीमत सदका करे और अगर ज़बह किए हुए जानवर की क़ीमत ज़िन्दा जानवर से कुछ कम है तो जितनी कमी है उसे भी सदक़ा

करे और फ़क़ीर ने क़ुर्बानी की नियत से जानवर ख़रीदा है और क़ुर्बानी के दिन निकल गए चूँकि उस पर भी उसी मुअ़य्यन जानवर की क़ुर्बानी वाजिब है लिहाज़ा उस जानवर को ज़िन्दा सदक़ा कर दे और अगर ज़बह कर डाला तो वही हुक्म है जो मन्नत में मज़कुर हुआ। ये हुक्म उसी सूरत में है कि क़ुर्बानी ही के लिए ख़रीदा हो और अगर उसके पास पहले से कोई जानवर था और उसने उसके क़ुर्बानी करने की नियत कर ली या ख़रीदने के बाद कुर्बानी की नियत की तो उस पर क़ुर्बानी वाजिब न हुई। और ग़नी ने क़ुर्बानी के लिए जानवर ख़रीद लिया है तो वही जानवर सदक़ा कर दे और ज़बह कर डाला तो वही हुक्म है, जो मज़कुर हुआ और ख़रीदा न हो तो बकरी की क़ीमत सदक़ा करे।

क़ुर्बानी के दिन गुज़र गए और उसने क़ुर्बानी नहीं की और जानवर या उसकी क़ीमत को सदक़ा भी नहीं किया यहां तक कि दूसरी बक़रईद आ गई अब ये चाहता है कि साल गुज़िशता की क़ुर्बानी की क़ज़ा इस साल कर ले ये नहीं हो सकता ब्लकि अब भी वही हुक्म है कि जानवर या उसकी क़ीमत सदक़ा करे।

जिस जानवर की क़ुर्बानी वाजिब थी अय्यामें नहर गुज़रने के बाद उसे बेच डाला तो समन का सदक़ा करना वाजिब है।

किसी शख़्स ने ये वसीयत की के उसकी तरफ़ से क़ुर्बानी कर दी जाए और ये नहीं बताया कि गाय या बकरी किस जानवर की क़ुर्बानी की जाए और ना क़ीमत बयान की के इतने का जानवर ख़रीद कर क़ुर्बानी की जाए ये वसीयत जायज़ है और बकरी क़ुर्बान कर देने से वसीयत पूरी होगी और अगर किसी को वकील किया कि मेरी तरफ़ से क़ुर्बानी कर देना और गाय या बकरी का ताअ़इन ना किया और क़ीमत भी बयान नहीं की तो वकील सही नहीं।

क़ुर्बानी की मन्नत मानी और ये मुअ़य्यन नहीं किया कि गाय की क़ुर्बानी करेगा या बकरी की तो मन्नत सही है बकरी की क़ुर्बानी कर देना काफ़ी है और अगर बकरी की क़ुर्बानी की मन्नत मानी तो ऊंट या गाय क़ुर्बानी कर देने से भी मन्नत पूरी हो जाएगी मन्नत की क़ुर्बानी में से कुछ ना खाए ब्लकि सारा गोश्त वग़ैरह सदक़ा कर दे और कुछ खा लिया तो जितना खाया उसकी क़ीमत सदक़ा करे।

क़ुर्बानी के जानवर तीन (3) क़िस्म के हैं।

1. ऊँट,
2. गाय,
3. बकरी

हर क़िस्म में उसकी जितनी नोएं हैं सब दाख़िल हैं नर और मादा, ख़स्सी (वो जानवर जिस के फ़ोते निकाल दिए गए हों) और ग़ैर ख़स्सी सब का एक हुक्म है यानी सबकी क़ुर्बानी हो सकती है। भैंस गाय में शुमार है उसकी भी क़ुर्बानी हो सकती है। भेड़ और दुम्बा बकरी में दाख़िल हैं उनकी भी क़ुर्बानी हो सकती है।

वहशी जानवर जैसे नील गाय और हिरन उनकी क़ुर्बानी नहीं हो सकती वहशी और घरेलू जानवर से मिलकर बच्चा पैदा हुआ मसलन हिरन और बकरी से उसमें माँ का ऐतबार है यानी उस बच्चे की माँ बकरी है तो जायज़ है और बकरे और हिरनी से पैदा है तो नाजायज़ है।

क़ुर्बानी के जानवर की उम्र ये होनी चाहिए ऊँट पाँच (5) साल का गाय दो (2) साल की बकरी एक (1) साल की उससे उम्र कम हो तो क़ुर्बानी जायज़ नहीं ज़्यादा हो तो जायज़ बल्कि अफ़जल है। हाँ दुम्बा या भेड़ का छः(6) माहा बच्चा अगर इतना बड़ा हो कि दूर से देखने में साल भर का मालूम होता हो तो उसकी क़ुर्बानी जायज़ है।

बकरी की क़ीमत और गोश्त अगर गाय के सातवें (7) हिस्सा के बराबर हो तो बकरी अफ़जल है और गाय के सातवें (7) हिस्सा में

बकरी से ज़्यादा गोश्त हो तो गाय अफ़जल है यानी जब दोनों की एक ही क़ीमत हो और मिक़दार भी एक ही हो तो जिसका गोश्त अच्छा हो वो अफ़जल है और अगर गोश्त की मिक़दार में फ़र्क़ हो तो जिसमें गोश्त ज़्यादा हो वो अफ़जल है और मेढा भेड़ से और दुम्बा दुम्बी से अफ़ज़ल है जबकि दोनों की एक क़ीमत हो और दोनों में गोश्त बराबर हो। बकरी बकरे से अफ़ज़ल है मगर ख़स्सी बकरा बकरी से अफ़ज़ल है और ऊँटनी ऊँट से और गाय बैल से अफ़ज़ल है जबकि गोश्त और क़ीमत में बराबर हों।

क़ुर्बानी के जानवर को ऐब से ख़ाली होना चाहिए और थोड़ा सा ऐब हो तो क़ुर्बानी हो जाएगी मगर मकरूह होगी और ज़्यादा ऐब हो तो होगी ही नहीं। जिसके पैदाइशी सींग न हों उसकी क़ुर्बानी जायज है और अगर सींग थे मगर टूट गया और मेंग (जड) तक टूटा है तो नाजायज़ है उससे कम टूटा है तो जायज़ है। जिस जानवर में जुनुन है अगर उस हद का है कि वो जानवर चरता भी नहीं है तो उसकी क़ुर्बानी नाजायज़ है और उस हद का नहीं है तो जायज़ है। ख़स्सी यानी जिसके ख़सिये निकाल लिए गए हैं या महबूब यानी जिसके ख़सिये और अज़ुए तनासुल सब काट लिए गए हों उनकी क़ुर्बानी जायज है। इतना बूढ़ा कि बच्चा के क़ाबिल न रहा या दागा हुआ जानवर या जिसके दूध न उतरता हो उन सब की क़ुर्बानी जायज़ है। ख़ारश्ती जानवर की क़ुर्बानी जायज़ है जबकि फ़रबा

(मोटा, सेहतमंद) हो और इतना लागर हो कि हड्डी में मग़ज़ न रहा तो क़ुर्बानी जायज़ नहीं ।

भेंगे जानवर की क़ुर्बानी जायज़ है। अंधे जानवर की क़ुर्बानी जायज़ नहीं और काना जिसका कानापन ज़ाहिर हो उसकी भी क़ुर्बानी नाजायज़। इतना लागर जिसकी हड्डियों में मग़ज़ न हो और लंगड़ा जो क़ुर्बानगाह तक अपने पाँव से न जा सके और इतना बीमार जिसकी बीमारी ज़ाहिर हो और जिसके कान या दूम या चूकि (दुम्बे की गोल चपटी दुम) कटे हों यानी वो अज़ू तिहाई से ज़्यादा कटा हो उन सबकी क़ुर्बानी नाजायज़ है और अगर कान या दूम या चूकि तिहाई या उससे कम कटी हो तो जायज़ है जिस जानवर के पैदाइशी कान न हों या एक कान न हो उसकी नाजायज़ है और जिसके कान छोटे हों उसकी जायज़ है। जिस जानवर की तिहाई से ज़्यादा नज़र जाती रही उसकी भी क़ुर्बानी नाजायज़ है अगर दोनों आँखों की रौशनी कम हो तो उसका पहचानना आसान है और सिर्फ़ एक आँख की कम हो तो उसके पहचानने का तरीक़ा ये है कि जानवर को एक-दो दिन भूखा रखा जाए फ़िर उस आँख पर पट्टी बांध दी जाए जिसकी रौशनी कम है और अच्छी आँख खुली रखी जाए और इतनी दूर चारा रखें जिसको जानवर न देखे फिर चारा को नज़दीक लाते जाएं जिस जगह वह चारे को देखने लगे वहां निशान रख दें फिर अच्छी आँख पर पट्टी बाँध दें और दूसरी खोल दें और

चारा को क़रीब करते जाएं जिस जगह उस आँख से देख ले यहां भी निशान कर दें फिर दोनों जगहों की पैमाईश करें अगर ये जगह उस पहली जगह की तिहाई है तो मालूम हुआ कि तिहाई रौशनी कम है और अगर निस्फ़ है तो मालूम हुआ कि ब निस्बत अच्छी आँख की उसकी रौशनी आधी है।

जिस के दांत ना हों (ऐसा जानवर जो घांस खाने की सलाहियत ना रखता हो, हाँ अलबत्ता अगर घांस खाने की सलाहियत रखता हो तो उस की क़ुर्बानी जायज़ है) या जिस के थन कटे हों या ख़ुशक हों उस की क़ुर्बानी नाजायज़ है बकरी में एक का ख़ुश्क होना नाजायज़ होने के लिए काफ़ी है और गाय भैंस में दो ख़ुश्क हों तो नाजायज़ है। जिस की नाक कटी हो या इलाज के ज़रिया उस का दूध ख़ुश्क कर दिया हो और ख़ुन्शा जानवर यानी जिस में नर व मादा दोनों की अलामतें हों और जिल्लाला जो सिर्फ़ ग़लीज़ खाता हो उन सब की क़ुर्बानी नाजायज़ है।

भेड़ या दूम्बा की ऊन काट ली गई हो उस की क़ुर्बानी जायज़ है और जिस जानवर का एक पांव काट लिया गया हो उस की क़ुर्बानी नाजायज़ है।

जानवर को जिस वक़्त ख़रीदा था उस वक़्त उस में ऐसा ऐब ना था जिस की वजह से क़ुर्बानी नाजायज़ होती है बाद में वो ऐब पैदा हो गया तो अगर वो शख़्स मालिक ए निसाब है तो दूसरे जानवर की क़ुर्बानी करे और मालिक ए निसाब नहीं है तो उसी की क़ुर्बानी कर ले ये उस वक़्त है कि उस फ़क़ीर ने पहले से अपने ज़िम्मा क़ुर्बानी वाजिब ना की हो और अगर उस ने मन्नत मानी है कि बकरी की क़ुर्बानी करूँगा और मन्नत पूरी करने के लिए बकरी ख़रीदी उस वक़्त बकरी में ऐसा ऐब ना था फिर पैदा हो गया उस सूरत में फ़क़ीर के लिए भी यही हुक्म है कि दूसरे जानवर की क़ुर्बानी करे।

क़ुर्बानी के जानवर का बयान, मसाइल

फ़क़ीर ने जिस वक़्त जानवर ख़रीदा था उसी वक़्त उस में ऐसा ऐब था जिस से क़ुर्बानी नाजायज़ होती है और वो ऐब क़ुर्बानी के वक़्त तक बाक़ी रहा तो उस की क़ुर्बानी कर सकता है और ग़नी ऐबदार ख़रीदे और ऐबदार की ही क़ुर्बानी करे तो नाजायज़ है और अगर ऐबी जानवर को ख़रीदा था और बाद में उसका ऐब जाता रहा तो ग़नी और फ़क़ीर दोनों के लिए उस की क़ुर्बानी जायज़ है मसलन ऐसा लाग़र जानवर ख़रीदा जिस की क़ुर्बानी नाजायज़ है और उस

के यहां वो फ़रबा (सेहतमंद) हो गया तो ग़नी भी उसकी क़ुर्बानी कर सकता है।

क़ुर्बानी करते वक़्त जानवर उछला कुदा जिस की वजह से ऐब पैदा हो गया ये ऐब मुज़ीर नहीं यानी क़ुर्बानी हो जाएगी और अगर उछलने कूदने से ऐब पैदा हो गया और वो छुट कर भाग गया और फ़ौरन पकड़ लाया गया और ज़बह कर दिया गया जब भी क़ुर्बानी हो जाएगी।

क़ुर्बानी का जानवर मर गया तो ग़नी पर लाज़िम है कि दूसरे जानवर की क़ुर्बानी करे और फ़क़ीर के ज़िम्मा दूसरा जानवर वाजिब नहीं और अगर क़ुर्बानी का जानवर गुम हो गया या चोरी हो गया और उस की जगह दूसरा जानवर ख़रीद लिया अब वो मिल गया तो ग़नी को इख़्तियार है कि दोनों में जिस एक को चाहे क़ुर्बानी करे और फ़क़ीर पर वाजिब है कि दोनों की क़ुर्बानीयां करे। मगर ग़नी ने अगर पहले जानवर की क़ुर्बानी की तो अगरचे उस की क़ीमत दूसरे से कम हो कोई हर्ज नहीं और अगर दूसरे की क़ुर्बानी की और उस की क़ीमत पहले से कम है तो जितनी कमी है उतनी रक़म सदक़ा करे हाँ अगर पहले को भी क़ुर्बान कर दिया तो अब वो तसद्दुक़ (सदक़ा करना) वाजिब ना रहा।

क़ुर्बानी के जानवर में शिरकत, मसाइल

सात (7) शख़्सों ने क़ुर्बानी के लिए गाय ख़रीदी थी उनमें एक का इन्तेक़ाल हो गया उसके वरसा ने शुरका से ये कह दिया कि तुम इस गाय को अपनी तरफ़ से और उसकी तरफ़ से क़ुर्बानी करो उन्होंने कर ली तो सबकी क़ुर्बानीयां जायज़ हैं और अगर बग़ैर इजाज़त वरसा उन शुरका ने की तो किसी की न हुई।

गाय के शुरका में से एक काफ़िर है या उनमें एक शख़्स का मक़सुद क़ुर्बानी नहीं है बल्कि गोश्त हासिल करना है तो किसी की क़ुर्बानी न हुई बल्कि अगर शुरका में से कोई ग़ुलाम या मुद्दबीर है जब भी क़ुर्बानी नहीं हो सकती क्योंकि ये लोग अगर क़ुर्बानी की नियत भी करें तो नियत सही नहीं।

शुरका में से एक की नियत इस साल की क़ुर्बानी है और बाक़ियों की नियत साल गुज़िश्ता की क़ुर्बानी है तो जिसकी इस साल की नियत है उसकी क़ुर्बानी सही है और बाक़ियों की नियत बातिल क्योंकि साल गुजिश्ता की क़ुर्बानी इस साल नहीं हो सकती उनलोगों की ये क़ुर्बानी तत्वअ़ यानि नफ़्ल हुई और उनलोगों पर

लाज़िम है कि गोश्त को सदक़ा कर दें बल्कि उनका साथी जिसकी क़ुर्बानी सही हुई है वो भी गोश्त सदक़ा कर दे।

क़ुर्बानी के सब शुरका की नियत तक़र्रुब (अल्लाह तआ़ला का हक़ अदा करना मक़सूद हो) हो इसका ये मतलब है किसी का इरादा गोश्त न हो और ये ज़रूर नहीं कि वो तक़र्रुब एक ही क़िस्म का हो मसलन सब क़ुर्बानी ही करना चाहते हैं बल्कि अगर मुख़्तलिफ़ क़िस्म के तक़र्रुब हों वो तक़र्रुब सब पर वाजिब हो या किसी पर वाजिब हो और किसी पर वाजिब न हो हर सूरत में क़ुर्बानी जायज़ है मसलन दमे एहसार और एहराम में शिकार करने की जज़ा और सर मुन्डाने की वजह से दम वाजिब हुआ हो और तमतअ़ व क़ुरआन का दम कि उन सब के साथ क़ुर्बानी की शिरकत हो सकती है। इसी तरह क़ुर्बानी और अक़ीक़ा की भी शिरकत हो सकती है कि अक़ीक़ा भी तक़र्रुब की एक सूरत है।

तीन (3) शख़्सों ने क़ुर्बानी के जानवर ख़रीदे एक ने दस (10) का दूसरे ने बीस (20) का तीसरे ने तीस (30) का और हर एक ने जितने में ख़रीदा है उसकी वाजिबी क़ीमत भी उतनी ही है ये तीनों जानवर मिल गए ये पता नहीं चलता कि किसका कौन है तीनों ने ये इत्तेफ़ाक़ कर लिया कि एक एक जानवर हर शख़्स क़ुर्बानी करे चुनान्चे ऐसा ही किया गया सब की क़ुर्बानीयां हो गयीं मगर जिस

ने तीस (30) में ख़रीदा था वो बीस (20) रुपए ख़ैरात करे क्योंकि मुमकिन है कि दस वाले को उसने क़ुर्बानी किया हो और जिस ने बीस (20) में ख़रीदा था वो दस रुपए ख़ैरात करे और जिस ने दस में ख़रीदा था उस पर कुछ सदक़ा करना वाजिब नहीं और अगर हर एक ने दूसरे को ज़बह करने की इजाज़त दे दी तो क़ुर्बानी हो जाएगी और उस पर कुछ वाजिब ना होगा।

क़ुर्बानी के बाज़ मुस्तहबात, मसाइल

मुस्तहब ये है कि क़ुर्बानी का जानवर ख़ूब फ़रबा और ख़ुबसूरत और बड़ा हो और बकरी की क़िस्म में से क़ुर्बानी करनी हो तो बेहतर सिंग वाला मेंढा चितकबरा हो जिस के ख़सिये कूट कर ख़स्सी कर दिया हो कि हदीस शरीफ़ में है हुज़ूर नबी ए अकरम सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम ने ऐसे मेंढे की क़ुर्बानी की।

ज़बह करने से पहले छुरी को तेज़ कर लिया जाए और ज़बह के बाद जब तक जानवर ठंढ़ा ना हो जाए उस के तमाम आअ़ज़ा से रुह निकल ना जाए उस वक़्त तक हांथ पांव ना काटें और ना चमड़ा उतारें और बेहतर ये है कि अपनी क़ुर्बानी अपने हांथ से करे

अगर अच्छी तरह ज़बह करना जानता हो और अगर अच्छी तरह ना जानता हो तो दूसरे को हुक्म दे वो ज़बह करे मगर उस सूरत में बेहतर ये है कि वक़्ते क़ुर्बानी हाज़िर हो हदीस शरीफ़ में है हुज़ूर ए अक़दस सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम ने हज़रत ए फ़ातिमा ज़हरा रदीअल्लाहु त्आला अन्हा से फ़रमाया :- खड़ी हो जाओ और अपनी क़ुर्बानी के पास हाज़िर हो जाओ की उसके ख़ून के पहले ही क़तरा में जो कुछ गुनाह किए हैं सब की मग़फ़िरत हो जाएगी इस पर अबु सईद ख़ुदरी रदीअल्लाहु त्आला अन्हो ने अर्ज़ की या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम ये आपकी आल के लिए ख़ास है या आप की आल के लिए भी है और आमह मुस्लिमिन के लिए भी फ़रमाया कि मेरी आल के लिए ख़ास भी है और तमाम मुस्लिमिन के लिए आम भी है।

क़ुर्बानी का जानवर मुस्लमान से ज़बह कराना चाहिए अगर किसी मजुसी या दूसरे मुशरीक़ से क़ुर्बानी का जानवर ज़बह करा दिया तो क़ुर्बानी नहीं हुई बल्कि ये जानवर हराम व मुरदाद है और कताबी से क़ुर्बानी का जानवर ज़बह कराना मकरुह है कि क़ुर्बानी से मक़सूद तक़र्रुब इलल्लाह है (यानी अल्लाह **त्आला** की रज़ा हासिल करना है) इस में काफ़िर से मदद ना ली जाए बल्कि बाज़

अइम्मा के नज़दीक इस सूरत में भी क़ुर्बानी नहीं होगी मगर हमारा मज़हब वही पहला है कि क़ुर्बानी हो जाएगी और मकरुह है।

क़ुर्बानी का गोश्त व पोस्त वग़ैरह क्या करे, मसाइल

क़ुर्बानी का गोश्त ख़ुद भी खा सकता है और दूसरे शख़्स ग़नी या फ़क़ीर को दे सकता है खिला सकता है बल्कि उसमें से कुछ खा लेना क़ुर्बानी करने वाले के लिए मुस्तहब है। बेहतर ये है कि गोश्त के तीन (3) हिस्से करे एक हिस्सा फ़ुक़रा के लिए और एक हिस्सा दोस्त व अहबाब के लिए और एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए, एक तिहाई से कम सदक़ा न करे। और कुल को सदक़ा कर देना भी जायज़ है और कुल घर ही रख ले ये भी जायज़ है। तीन (3) दिन से ज़ायद अपने और घर वालों के खाने के लिए रख लेना भी जायज़ है और बाज़ हदीसों में जो उसकी मुमानिअ़त आई है वो मनसुख़ है अगर उस शख़्स के अहल व अयाल बहुत हों और साहिबे उसअ़त नहीं है तो बेहतर ये है कि सारा गोश्त अपने बाल-बच्चों ही के लिए रख छोड़े।

क़ुर्बानी का गोश्त काफ़िर को न दे कि यहाँ के कुफ़्फ़ार हरबी हैं।

क़ुर्बानी अगर मन्नत की है तो उसका गोश्त न ख़ुद खा सकता है न अग़निया को खिला सकता है बल्कि उसको सदक़ा कर देना वाजिब है वो मन्नत मानने वाला फ़क़ीर हो या ग़नी दोनों का एक ही हुक्म है कि ख़ुद नहीं खा सकता है न ग़नी को खिला सकता है।

मय्यत की तरफ़ से क़ुर्बानी की तो उसके गोश्त का भी वही हुक्म है कि ख़ुद खाए दोस्त अहबाब को दे फ़क़ीरों को दे ये ज़रुर नहीं कि सारा गोश्त फ़क़ीरों ही को दे क्योंकि गोश्त उसकी मिल्क है ये सब कुछ कर सकता है और अगर मय्यत ने कह दिया है कि मेरी तरफ़ से क़ुर्बानी कर देना तो उसमें से न खाए बल्कि कुल गोश्त सदक़ा कर दे।

क़ुर्बानी का चमड़ा और उसकी झोल (क़ुर्बानी के जानवरों पर डालने वाला कपड़ा) और रस्सी और उसके गले में हार डाला है वो हार उन सब चीज़ों को सदक़ा कर दे। क़ुर्बानी के चमड़े को ख़ुद भी अपने काम में ला सकता है यानी उसको बाक़ी रखते हुए अपने किसी काम में ला सकता है मसलन उसकी जानमाज़ बनाए, चलनी (आटा वग़ैरह छानने का आला, छिलनी) थैली, मशकिज़ा, दस्तरख़्वान, डोल वग़ैरह बनाए या किताबों की जिल्दों में लगाए ये सब कर सकता है। चमड़े का डोल बनाया तो उसे अपने काम में

लाए उजरत पर ना दे और अगर उजरत पर दे दिया तो उस उजरत को सदक़ा करे।

क़ुर्बानी के चमड़े को ऐसी चीज़ों से बदल सकता है जिस को बाक़ी रखते हुए उस से नफ़अ (फ़ायदा) उठाया जाए जैसे किताब, ऐसी चीज़ से बदल नहीं सकता जिसको हलाक कर के नफ़अ हासिल किया जाता हो जैसे रोटी, गोश्त, सिरका, रुपया, पैसा और अगर उस ने उन चीज़ों को चमड़े के एवज़ में हासिल किया तो उन चीज़ों को सदक़ा कर दे।

अगर क़ुर्बानी की खाल को रुपए के एवज़ में बेचा मगर इसलिए नहीं कि उस को अपनी ज़ात पर या बाल बच्चों पर सर्फ़ करेगा बल्कि इसलिए कि उसे सदक़ा कर देगा तो जायज़ है। जैसा कि आजकल अक्सर लोग खाल मदारीसे दीनीया में दिया करते हैं और बाज़ मर्तबा वहाँ खाल भेजने में दिक़्क़त होती है उसे बेच कर रुपया भेज देते हैं या कई शख़्सों को देना होता है उसे बेच कर दाम उन फ़ुक़रा पर तक़सीम कर देते हैं ये बयअ़ जायज़ है इस में हर्ज नहीं और हदीस में जो उसके बेचने की मुमानिअ़त आयी है उस से मुराद अपने लिए बेचना है।

गोश्त का भी वही हुक्म है जो चमड़े का है कि उस को अगर ऐसी चीज़ के बदले में बेचा जिस को हलाक कर के नफ़अ़ हासिल किया जाए तो सदक़ा कर दे।

क़ुर्बानी की चर्बी और उस की सिरी, पाए और ऊन और दूध को ज़बह के बाद दूहा है उन सब का वही हुक्म है कि अगर ऐसी चीज़ उस के एवज़ में ली जिस को हलाक कर के नफ़अ़ हासिल करेगा तो उस को सदक़ा कर दे ।

क़ुर्बानी का चमड़ा या गोश्त या उसमें कोई चीज़ क़स्साब या ज़बह करने वाले को उजरत में नहीं दे सकता कि उस को उजरत में देना भी बेचने ही के माना में है।

क़स्साब को उजरत में नहीं दिया बल्कि जैसे दूसरे मुस्लमानों को देता है उस को भी दिया और उजरत अपने पास से दूसरी चीज़ देगा तो जायज़ है।

भेड़ के किसी जगह के बाल निशानी के लिए काट लिए हैं उन बालों को फ़ेंक देना या किसी को हिबा कर देना नाजायज़ है बल्कि उन्हें सदक़ा करे।

ज़बह से पहले क़ुर्बानी के जानवर से मनफ़अ़त (फ़ायदा) हासिल करना मना है, मसाइल

ज़बह से पहले क़ुर्बानी के जानवर के बाल अपने किसी काम के लिए काट लेना या उसका दूध दुहना मकरूह व ममनूअ़ है और क़ुर्बानी के जानवर पर सवार होना या उस पर कोई चीज़ लादना या उसको उज़रत पर देना ग़र्ज़ उससे मुनाफ़ा हासिल करना मना है अगर उसने ऊन काट ली या दूध दुह लिया तो उसे सदक़ा कर दे और उजरत पर जानवर को दिया है तो उजरत को सदक़ा करे और अगर ख़ुद सवार हुआ या उस पर कोई चीज़ लादी तो उसकी वजह से जानवर में जो कुछ कमी आई उतनी मिक़दार में सदक़ा करे।

जानवर दूध वाला है तो उसके थन पर ठंडा पानी छिड़के कि दूध ख़ुस्क हो जाए अगर उससे काम न चले तो जानवर को दुह कर दूध सदक़ा करे।

जानवर ज़बह हो गया तो अब उसके बाल को अपने काम के लिए काट सकता है और अगर उसके थन में दूध है तो दुह सकता

है कि जो मक़सूद था वो पूरा हो गया अब ये उसकी मिल्क है अपने सर्फ़ में ला सकता है।

क़ुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदा था क़ुर्बानी करने से पहले उसके बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा को भी ज़बह कर डाले और अगर बच्चा को बेच डाला तो उसका समन (क़ीमत) सदक़ा कर दे और अगर न ज़बह किया न बयअ़ (बेचना) किया और अय्यामे नहर गुज़र गए तो उसको ज़िन्दा सदक़ा कर दे और अगर कुछ न किया और बच्चा उसके यहां रहा और क़ुर्बानी का ज़माना आ गया ये चाहता है कि उस साल की क़ुर्बानी में उसी को ज़बह करे ये नहीं कर सकता और अगर क़ुर्बानी उसी की कर दी तो दूसरी क़ुर्बानी फिर करे कि वो क़ुर्बानी नहीं हुई और वो बच्चा ज़बह किया हुआ सदक़ा कर दे बल्कि ज़बह से जो कुछ उसकी क़ीमत में कमी हुई उसे भी सदक़ा करे।

क़ुर्बानी की और उसके पेट में ज़िन्दा बच्चा है तो उसे भी ज़बह कर दे और उसे सर्फ़ में ला सकता है और मरा हुआ बच्चा हो तो उसे फ़ेंक दे मुरदार है।

दूसरे के क़ुर्बानी के जानवर को बेला इजाज़त ज़बह कर दिया, मसाइल

दो शख़्सों ने ग़लती से ये किया कि हर एक ने दूसरे की क़ुर्बानी की बकरी ज़बह कर दी। यानी हर एक ने दूसरे की बकरी को अपनी समझ कर क़ुर्बानी कर दिया तो बकरी जिसकी थी उसी की क़ुर्बानी हुई और चूँकि दोनों ने ऐसा किया लिहाज़ा दोनों की क़ुर्बनियां हो गईं और इस सूरत में किसी पर तावान नहीं बल्कि हर एक अपनी-अपनी बकरी ज़बह शूदह ले ले और फ़र्ज़ करो कि हर एक को अपनी ग़लती उस वक़्त मालूम हुई जब उस बकरी को सर्फ़ कर चूका तो चूँकि हर एक ने दूसरे की बकरी खा डाली लिहाज़ा हर एक दूसरे से माफ़ करा ले और अगर माफ़ी पर राज़ी न हों तो चूँकि हर एक ने दूसरे की क़ुर्बानी का गोश्त बेला इजाज़त खा डाला गोश्त की क़ीमत का तावान ले ले इस तावान को सदक़ा करे कि क़ुर्बानी के गोश्त के मुआवज़ा का यही हुक्म है। ये तमाम बातें उस वक़्त हैं कि हर एक दूसरे के इस फ़ेल पर कि उसने उसकी बकरी ज़बह कर डाली राज़ी हो तो जिसकी बकरी थी उसी की क़ुर्बानी हुई और अगर राज़ी न हो तो बकरी की क़ीमत का तावान लेगा और इस सूरत में जिसने ज़बह की उसकी क़ुर्बानी हुई। यानी बकरी का जब तावान

लिया तो बकरी ज़ाबिह (ज़बह करने वाले) की हो गई और उसी की जानिब से क़ुर्बानी हुई और गोश्त का भी यही मालिक हुआ।

दूसरे की क़ुर्बानी की बकरी बग़ैर उसकी इजाज़त के क़सदन ज़बह कर दी उसकी दो सूरतें हैं मालिक की तरफ़ से उसने क़ुर्बानी की या अपनी तरफ़ से, अगर मालिक की नियत से क़ुर्बानी की तो उसकी क़ुर्बानी हो गई कि वो जानवर क़ुर्बानी के लिए था और क़ुर्बान कर दिया गया इस सूरत में मालिक उससे तावान नहीं ले सकता और अगर उसने अपनी तरफ़ से क़ुर्बानी की और ज़बह शूदह बकरी के लेने पर मालिक राज़ी है तो क़ुर्बानी मालिक की जानिब से हुई और ज़ाबिह की नियत का ऐतबार नहीं और मालिक अगर उस पर राज़ी नहीं बल्कि बकरी का तावान लेता है तो मालिक की क़ुर्बानी नहीं हुई बल्कि ज़ाबिह की हुई कि तावान देने से बकरी का मालिक हो गया और उसकी अपनी क़ुर्बानी हो गई।

अगर बकरी क़ुर्बानी के लिए मुअ़य्यन (ख़ास) न हो तो बग़ैर इजाज़ते मालिक अगर दूसरा शख़्स क़ुर्बानी कर देगा तो क़ुर्बानी न होगी मसलन एक शख़्स ने पाँच (5) बकरियां ख़रीदी थीं और उसका ये ख़्याल था कि उनमें से एक बकरी को क़ुर्बानी करूँगा और उनमें से किसी एक को मुअ़य्यन नहीं किया था तो दूसरा शख़्स मालिक की जानिब से क़ुर्बानी नहीं कर सकता अगर करेगा तो तावान

लाज़िम होगा ज़बह के बाद मालिक उसकी क़ुर्बानी की नियत करे बेकार है यानी इस सूरत में क़ुर्बानी नहीं हुई।

दूसरे की बकरी ग़स्ब कर ली और उसकी क़ुर्बानी कर ली अगर मालिक ने ज़िन्दा बकरी का उस शख़्स से तावान ले लिया तो क़ुर्बानी हो गई मगर ये शख़्स गुनहगार है उस पर तौबा व अस्तग़फ़ार लाज़िम है और अगर मालिक ने तावान नहीं लिया बल्कि ज़बह की हुई बकरी ली और ज़बह करने से जो कुछ कमी हुई उसका तावान लिया तो क़ुर्बानी नहीं हुई।

अपनी बकरी दूसरे की तरफ़ से ज़बह कर दी उसके हुक्म से ऐसा किया या बग़ैर हुक्म बहर सूरत उसकी क़ुर्बानी नहीं क्योंकि उसकी तरफ़ से क़ुर्बानी उस वक़्त हो सकती है जब उसकी मिल्क हो।

एक शख़्स के पास किसी की बकरी अमानत के तौर पर थी अमीन ने क़ुर्बानी कर दी ये क़ुर्बानी सही नहीं न मालिक की तरफ़ से न अमीन की तरफ़ से अगरचे मालिक ने अमीन से अपनी बकरी का तावान लिया हो इसी तरह अगर किसी का जानवर उसके पास आरीयत या एजारह के तौर पर (यानी किराए के तौर पर) है और उसने क़ुर्बानी कर दिया ये क़ुर्बानी जायज़ नहीं। मर्हुन को (रहन रखी

हुई चीज़ को) राहीन ने (रहन रखवाने वाले ने) क़ुर्बानी किया तो हो जाएगी कि जानवर उसकी मिल्क है और मुरतहीन ने किया तो उसमें इख़्तिलाफ़ है।

मवेशी ख़ाना के जानवर एक मुद्दते मुक़र्ररह के बाद निलाम हो जाते हैं और बाज़ लोग उसे ले लेते हैं उसकी क़ुर्बानी जायज नहीं क्योंकि ये जानवर उसकी मिल्क नहीं।

दो शख़्सों के माबैन एक जानवर मुशतरीक है (यहां जानवर से मुराद बकरी या उस जैसा जानवर मुराद है जिस में सिर्फ़ एक हिस्सा होता है) उसकी क़ुर्बानी नहीं हो सकती कि मुशतरीक माल में दोनों का हिस्सा है एक का हिस्सा दूसरे के पास अमानत है और अगर दो जानवरों में दो शख़्स बराबर के शरीक हैं हर एक ने एक-एक की क़ुर्बानी कर दी दोनों की क़ुर्बनियां हो जाएंगी।

एक शख़्स के नौ (9) बाल बच्चे हैं और एक ख़ुद, उसने दस बकरियों की क़ुर्बानी की और ये नियत कि किसकी तरफ़ से किस बकरी की क़ुर्बानी है मगर ये नियत ज़रूर है कि दसों (10) बकरियां हम दसों (10) की तरफ़ से हैं ये क़ुर्बानी जायज़ है सबकी क़ुर्बनियां हो जाएंगी।

अपनी तरफ़ से और अपने बच्चों की तरफ़ से गाय की क़ुर्बानी की अगर वो नाबालिग़ हैं तो सबकी क़ुर्बनियां जायज़ हैं और बालिग़ हैं और सब लड़को ने कह दिया है तो सबकी तरफ़ से सही है और अगर उन्होंने कहा नहीं या बाज़ ने नहीं कहा है तो किसी की क़ुर्बानी नहीं हुई।

बैय फ़ासीद के ज़रिया बकरी ख़रीदी और क़ुर्बानी कर दी ये क़ुर्बानी हो गई कि बैय फ़ासीद में कब्ज़ा कर लेने से मिल्क हो जाती है और बायअ़ को इख़्तियार है अगर उसने ज़िन्दा बकरी की वाजिबी क़ीमत मुशतरी से ले ली तो अब उसके ज़िम्मा कुछ वाजिब नहीं और अगर बायअ़ ने ज़बह की हुई बकरी ले ली तो क़ुर्बानी करने वाला उस ज़बह की हुई बकरी की क़ीमत सदक़ा करे।

एक शख़्स ने दूसरे को बकरी हिबा कर दी मौवहुबलहु (जिसे बकरी हिबा की गई) ने उसकी क़ुर्बानी कर दी उसके बाद वाहिब (हिबा करने वाला) अपना हिबा वापस लेना चाहता है वो वापस ले सकता है और मौवहुबलहु की क़ुर्बानी सही है और उसके ज़िम्मा कुछ सदक़ा करना भी वाजिब नहीं।

मुतफ़्फ़रिक़ मसाइल

दूसरे से क़ुर्बानी ज़बह कराई ज़बह के बाद वो ये कहता है मैंने क़सदन بِسْمِ اللہ नहीं पढ़ी उसको उस जानवर की क़ीमत देनी होगी फ़िर अगर क़ुर्बानी का वक़्त बाक़ी है तो उस क़ीमत से दूसरा जानवर ख़रीद कर क़ुर्बानी करे और उसका गोश्त सदक़ा करे ख़ुद न खाए और वक़्त बाक़ी न हो तो उस क़ीमत को सदक़ा कर दे।

तीन (3) शख़्सों ने तीन (3) बकरियां क़ुर्बानी के लिए ख़रीदें फ़िर ये बकरियां मिल गईं पता नहीं चलता कि किसकी कौन-सी बकरी है उस सूरत में ये करना चाहिए कि हर एक-दूसरे को ज़बह करने का वकील कर दे सबकी कुर्बनियां हो जाएंगी कि उसने अपनी बकरी ज़बह की जब भी जायज़ है और दूसरे की ज़बह की जब भी जायज़ है कि ये उसका वकील है।

दूसरे से ज़बह कराया और ख़ुद अपना हाथ भी छूरी पर रख दिया कि दोनों ने मिलकर ज़बह किया तो दोनों पर بِسْمِ اللہ कहना वाजिब है एक ने भी क़सदन छोड़ दी या ये ख़्याल करके छोड़ दी

कि दूसरे ने कह ली मुझे कहने की क्या ज़रुरत दोनों सूरतों में जानवर हलाल न हुआ।

क़ुर्बानी के लिए गाय ख़रीदी फिर उसमें छः(6) शख़्सों को शरीक कर लिया सबकी क़ुर्बनियां हो जाएंगी मगर ऐसा करना मकरूह है हाँ अगर ख़रीदने ही के वक़्त उसका ये इरादा था कि उसमें दूसरों को शरीक करूँगा तो मकरूह नहीं और अगर ख़रीदने से पहले ही शिरकत कर ली जाए तो ये सबसे बेहतर और अगर ग़ैरे मालिक ए निसाब ने क़ुर्बानी के लिए गाय ख़रीदी तो ख़रीदने से ही उस पर उस गाय की क़ुर्बानी वाजिब हो गई अब वो दूसरे को शरीक नहीं कर सकता।

पाँच (5) शख़्सों ने क़ुर्बानी के लिए गाय ख़रीदी एक शख़्स आता है वो ये कहता है मुझे भी इसमें शरीक कर लो चार (4) ने मन्ज़ूर कर लिया और एक ने इन्कार किया उस गाय की क़ुर्बानी हुई सबकी तरफ़ से जायज़ हो गई क्योंकि ये छठा (6) शख़्स उन चारों का शरीक है और उनमें हर एक का सातवें (7) हिस्सा से ज़्यादा है और गोश्त यूँ तक़सीम होगा कि पाँचवा (5) हिस्सा उसका है जिसने शिरकत से इन्कार किया बाक़ी चार (4) हिस्सों को ये पाँचों बराबर में बाँट लें। या यूँ करो कि पच्चीस (25) हिस्से करके उसको पाँच

(5) हिस्से दो जिसने शिरकत से इन्कार किया है बाक़ीयों को चार-चार (4) हिस्से।

क़ुर्बानी के लिए बकरी ख़रीदी और क़ुर्बानी कर दी फिर मालूम हुआ कि बकरी में ऐब है मगर ऐसा ऐब नहीं जिसकी क़ुर्बानी न हो सके उसको इख़्तियार है कि उसकी वजह से जो कुछ क़ीमत में कमी हो सकती है वो बायअ़ (बेचने वाला) से वापस ले और उसका सदक़ा करना उस पर वाजिब नहीं और अगर बायअ़ कहता है कि मैं ज़बह की हुई बकरी लूँगा और समन वापस करूंगा तो मुशतरी (ख़रीदार) उस समन को सदक़ा कर दे सिर्फ़ उतना हिस्सा जो ऐब की वजह से कम हो सकता है उसको रख सकता है।

क़ुर्बानी की ज़बह की हुई बकरी ग़सब कर ली ग़ासीब से उसका तावान ले सकता है मगर उस तावान को सदक़ा करना ज़रूरी है कि ये उस क़ुर्बानी का मुआवज़ा है।

मालिक ए निसाब ने क़ुर्बानी की मन्नत मानी तो उसके ज़िम्मा दो (2) क़ुर्बानीयां वाजिब हो गएं एक वो जो ग़नी पर वाजिब होती है और एक मन्नत की वजह से। दो या दो से ज़्यादा क़ुर्बानीयों की मन्नत मानी तो जितनी क़ुर्बानीयों की मन्नत है सब वाजिब है।

एक (1) से ज़्यादा क़ुर्बानी की सब क़ुर्बानीयां जायज़ हैं एक वाजिब बाक़ी नफ़्ल और अगर एक पूरी गाय क़ुर्बानी की तो पूरी से वाजिब ही अदा होगा ये नहीं कि सातवां (7) हिस्सा वाजिब हो बाक़ी नफ़्ल।

तम्बीह

क़ुर्बानी के मसाइल तफ़सील के साथ मज़कुर हो चुके अब मुख़्तसर तौर पर उसका तरीक़ा बयान किया जाता है ताकि आवाम के लिए आसानी हो।

क़ुर्बानी का जानवर उन शरायत के मुआफ़िक़ हो जो मज़कुर हुएं यानी जो उसकी उम्र बतायी गई उससे कम ना हो और उन अयुब से पाक हो जिनकी वजह से क़ुर्बानी नाजायज़ होती है और बेहतर ये कि उम्दा और फ़रबा हो। क़ुर्बानी से पहले उसे चारा पानी दे दें यानी भूखा प्यासा ज़बह ना करें। और एक के सामने दूसरे को ज़बह ना करें और पहले से छुरी तेज़ कर लें ऐसा ना हो कि जानवर गिराने के बाद उसके सामने छुरी तेज़ की जाए। जानवर को बाएं पहलू पर इस तरह लिटाएं कि क़िब्ला को उसका मुँह हो और अपना

दाहिना पावं उसके पहलू पर रख कर तेज़ छुरी से जल्द ज़बह कर दिया जाए और ज़बह से पहले ये दुआ पढ़ी जाए

اِنِّیْ وَجَّہْتُ وَجْہِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّمَا

اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُکِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰہِ رَبِّ

الْعٰلَمِیْنَ لَا شَرِیْکَ لَہٗ وَبِذٰلِکَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ

اَللّٰھُمَّ لَکَ وَمِنْکَ بِسْمِ اللّٰہِ اَللّٰہُ اَکْبَرُ.

इसे पढ़ कर ज़बह कर दे। क़ुर्बानी अपनी तरफ़ से हो तो ज़बह के बाद ये दुआ पढ़े

اَللّٰھُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّیْ کَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ خَلِیْلِکَ اِبْرَاھِیْمَ عَلَیْہِ السَّلَامُ

وَ حَبِیْبِکَ مُحَمَّدٍ.

صلَّی اللّٰہُ تعالیٰ علیہ وسلَّم.

इस तरह ज़बह करे कि चारों (4) रगें कट जाए या कम से कम तीन (3) रगें कट जाएं।उससे ज़्यादा न काटें कि छूरी गर्दन के मुहरा तक पहुंच जाए कि ये बेवजह की तकलीफ़ है फिर जब तक जानवर

ठंडा न हो जाए यानी जब तक उसकी रूह बिल्कुल न निकल जाए उसके न पाँव वग़ैरह काटें न खाल उतारें और अगर दूसरे की तरफ़ से ज़बह करता है तो مِنِّی की जगह مِنْ के बाद उसका नाम ले। और अगर वो मुशतरीक जानवर है जैसे गाय ऊँट तो वजन से गोश्त तक़सीम किया जाए महज़ तख़मीना (अन्दाज़ा) से तक़सीम न करें। फ़िर उस गोश्त के तीन (3) हिस्से करके एक हिस्सा फ़ुक़रा पर तसद्दुक़ (सदक़ा कर दे) करे और एक हिस्सा दोस्त व अहबाब के यहां भेजे और एक अपने घर वालों के लिए रखे और उसमें से ख़ुद भी कुछ खा ले और अगर अहलो अयाल ज़्यादा हों तो तिहाई से ज़्यादा बल्कि कुल गोश्त भी घर के सर्फ़ (इस्तेमाल) में ला सकता है। और क़ुर्बानी का चमड़ा अपने काम में भी ला सकता है और हो सकता है कि किसी नेक काम के लिए दे दे मसलन मस्जिद या दीनी मदरसा को दे दे या किसी फ़क़ीर को दे दे। बाज़ जगह ये चमड़ा इमाम मस्जिद को दिया जाता है अगर इमाम की तनख़्वाह में न दिया जाता हो बल्कि इआ़नत के तौर पर हो तो हर्ज नहीं। बहरुलराइक़ में मज़कूर है कि क़ुर्बानी करने वाला बक़रईद के दिन सबसे पहले क़ुर्बानी का गोश्त खाए उससे पहले कोई दूसरी चीज़ न खाए ये मुस्तहब है उसके ख़िलाफ़ करे जब भी हर्ज नहीं।

फ़ायदा

अहादीस से साबित है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम इस उम्मत ए मरहुमा की तरफ़ से क़ुर्बानी की ये हुज़ूर सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम के बेशुमार अल्ताफ़ में से एक ख़ास करम है कि इस मौक़ा पर भी उम्मत का ख़्याल फ़रमाया और जो लोग क़ुर्बानी ना कर सके उनकी तरफ़ से ख़ुद ही क़ुर्बानी अदा फ़रमाई। ये शुब्हा कि एक मेंढा उन सब की तरफ़ से क्यों कर हो सकता है या जो लोग अभी पैदा ही ना हुए उनकी क़ुर्बानी क्यों कर हुई इसका जवाब ये है कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम के ख़साइस से है। जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम ने छः (6) महीने के बकरी के बच्चा की क़ुर्बानी अबुबरदह रदीअल्लाहु त्आला अन्हो के लिए जायज़ फ़रमा दी औरों के लिए उसकी मुमानिअ़त कर दी। उसी तरह इसमें ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम की ख़ुसुसीयत है। कहना ये है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम ने उम्मत की तरफ़ से क़ुर्बानी की तो जो मुस्लमान साहिब ए इसतेताअ़त हो अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम के नाम की एक क़ुर्बानी करे तो ज़हे नसीब और बेहतर सिंग वाला मेंढा है जिसकी स्याही में

सफ़ेदी की भी आमेज़श हो जैसे मेंढे की ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम ने क़ुर्बानी फ़रमाई।

हिंदी ज़ुबान में हमारी दूसरी किताबें और रसाइल :

बहारे तहरीर (अब तक 13 हिस्सों में)
अल्लाह त'आला को ऊपरवाला या अल्लाह मियाँ कहना कैसा?
अज़ाने बिलाल और सूरज का निकलना
इश्के मजाज़ी - मुंतखब मज़ामीन का मजमुआ
गाना बजाना बंद करो, तुम मुसलमान हो!
शबे मेराज गौसे पाक
शबे मेराज नालैन अर्श पर
हज़रते उवैस क़रनी का एक वाकिया
डॉक्टर ताहिर और वक़ारे मिल्लत
ग़ैरे सहाबा में रदिअल्लाहु त'आला अन्हु का इस्तिमाल
चंद वाकियाते कर्बला का तहक़ीक़ी जाइज़ा
बिंते हव्वा
सेक्स नॉलेज
हज़रते अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाकिये पर तहक़ीक़
औरत का जनाज़ा
एक आशिक़ की कहानी अल्लामा इब्ने जौज़ी की ज़ुबानी

Ilm Ki Raushni Ke Tehat Chalne Waale Departments :

(1) Authorship
(2) Razvi Darul Ifta Ramgarh
(3) light of Knowledge
(4)Aimma-e- Masajid
(5) Invitation of Preaching
(6)Disseminating
(7)Support & Assistance

ABOUT US

Abde Mustafa Official Is A Team From **Ahle Sunnat Wa Jama'at** Working **Since 2014** On The Aim To Propagate

Quraan And Sunnah

Through Electronic And Print Media.

We are :

Writing articles, composing & publishing books, running a special **matrimonial service** for Ahle Sunnat

Visit our official website

www.abdemustafa.in

Books Library

books.abdemustafa.in

about 150+ tehqeeqi pamphlets & books are available in multiple languages.

E Nikah Matrimony

www.enikah.in

there is also a channel on Telegram
t.me/Enikah (Search “E Nikah Service” on Telegram)

Find us on Social Media Networks :

Subscribe us on YouTube | abdemustafaofficial
like and follow us on Facebook & Instagram | abdemustafaofficial
Join our official Telegram Channel | t.me/abdemustafaofficial
Books Library on Telegram | t.me/abdemustafalibrary
or search “Abde Mustafa Official” on Google
for more details WhatsApp on **+919102520764**

SABIYA VIRTUAL PUBLICATION
POWERED BY ABDE MUSTAFA OFFICIAL

AMO Abde Mustafa Official   SABIYA Sabiya Virtual Publication

